प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

मुख्यालय और जंगपुरा एक्सटेंशन स्थित बैंकों के फ्लैटों (वीओएफ और कार्यपालक निदेशक के फ्लैट) में स्थापित एसी के लिए अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने हेतु बोलीदाता का चयन

परिसर विभाग

मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक

कोर 5-ए, तीसरे से पांचवे तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,

नई दिल्ली – 110 003

फोन: 011-39187000

ई-मेल: parichay@nhb.org.in, sushil.verma@nhb.org.in, mohit.kaul@nhb.org.in

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली शुरू होने की तिथि	26/03/2018
2.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	17/04/2018 को 06:00 बजे तक
3.	निविदा बोली खोलने की तिथि एवं समय	18/04/2018 को 11:30 बजे तक
4.	आरएफपी की लागत	शून्य
5.	बयाना जमा-राशि	3600.00 रुपए
6.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक , कोर 5- ए, चतुर्थ तल, बैठक कक्ष, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

नोट: -

- **बिड उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी जो उपस्थित होने के लिए चयनित किए गए हैं।**
- **उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करके दी जाएगी।**
- **इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्यों/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना रिपोर्ट की जाएगी एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की यथा तारीख को मानी जाएगी।**

- **व्याख्या : आरएफपी, निविदा, बोली शब्द एक-दूसरे के साथ उपयोग किए गए हैं तथा उसे एक ही एवं इस आरएफपी दस्तावेज के उद्देश्य हेतु माना जाएगा। सभी स्पष्टीकरण, संशोधन, रूपांतरण, अनुपूरक आरएफपी जो इस आरएफपी के संबंध में जारी किए जा सकते हैं, उन्हें आरएफपी के अनिवार्य भाग के रूप में समझा जाएगा तथा साथ में आरएफपी दस्तावेज का गठन किया जाएगा।**

2. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:

- आबादी के सभी वर्गों को की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना

- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षक प्राधिकार के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति केर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, चेन्नै, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद और भोपाल में है।

3. प्रयोजन:

रा.आ.बैंक मुख्यालय और जंगपुरा एक्सटेंशन स्थित फ्लैटों (वीओएफ और कार्यपालक निदेशक के फ्लैट) में स्थापित एसी के लिए अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने हेतु बोली आमंत्रित की जाती है।

4. उद्देश्य:

रा.आ.बैंक का प्रयोजन रा.आ.बैंक मुख्यालय और जंगपुरा एक्सटेंशन स्थित फ्लैटों (वीओएफ और कार्यपालक निदेशक के फ्लैट) में स्थापित एसी के लिए अनुरक्षण सेवाएं प्रापत करना है।

5. कार्य क्षेत्र:

- 24 घंटों के भीतर शिकायतों का निवारण करना।
- प्लास्टिक पार्ट, शीट मेटल पार्ट, कंडेन्सर कॉइल एवं कूलिंग कॉइल एएमसी के तहत शामिल नहीं होंगे।
- गैस चार्जिंग, इलेक्ट्रिकल पार्ट, कॉन्ट्रेक्टर, कनेक्टर, फैन मोटर, कंपरेसर, एक ओवरहॉलिग एवं 4 रूटीन सर्विस एएमसी के तहत शामिल होंगे।
- खराब पार्ट को बदलकर नए पार्ट की आपूर्ति की जाएगी।
- नॉर्मल वीयर एवं टीयर रूटीन निरीक्षण के लिए एवं एसी की सफाई प्रत्येक माह में की जाएगी।
- बोलीदाता को बैंक की संतुष्टि पर कार्यस्थल पर कार्य के उचित निष्पादन हेतु सभी टूल टेकल्स आदि प्रदान करना आवश्यक है।

मौजूदा समय में जहां एसी स्थापित है, उसका पता:

परिसर विभाग मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक कोर 5-ए, तीसरे से पांचवे तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003	*वीओएफ* सी 39/40, भूतल एवं द्वितीय तल जंगपुरा एक्सटेंशन नई दिल्ली – 110014	*ईडी के फ्लैट* सी 39/40, प्रथम तल जंगपुरा एक्सटेंशन नई दिल्ली – 110014

6. प्रदेय

कार्य क्षेत्र के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य को पूरा

करना।

7. संविदा की अवधि:

यह संविदा तीन (3) वर्षों के लिए वैध होगी जो कि बैंक द्वारा सेवा प्रदाता/कार्मिक के कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा के अधीन होगा। एलओए को स्वीकार करने की तारीख या ऐसी अन्य तारीख जो रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित की जाए, संविदा प्रारंभ ("प्रारंभ तिथि") करने की तारीख होगी।

टिप्पणी:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों या सेवाओं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं है, वे सही तौर पर कार्य प्रदर्शन हेतु जरूरी या उपयुक्त हैं और उन्हें इस आरएफपी के तहत अंतर्निहित और समाविष्ट समझा जाएगा और वेंडर का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और वेंडर के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

8. बोलीदाताओं के लिए निर्देश

8.1 सामान्य:-

- बोलीदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं। इससे

किसी भी तरह जुड़े एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

- प्रत्येक प्राप्तकर्ता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र वेंडर(रों) छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।

- राष्ट्रीय आवास बैंक को आरएफपी का उत्तर देने वाले बोलीदता को यह समझा जाएगा कि उसे इस बोली/आरएफपी एवं अस्वीकरण की शर्तें स्वीकार हैं।

- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

श्री परिचय प्रबंधक (परिसर) ईमेल आईडी:parichay@nhb.org.in दूरभाष : 011-39187252	श्री सुशील कुमार वर्मा परामर्शदाता (परिसर) ईमेल आईडी: sushil.verma@nhb.org.in दूरभाष : 011-39187252	श्री मोहित कौल सहायक महाप्रबंधक ईमेल आईडी: mohit.kaul@nhb.org.in दूरभाष : 011-39187128

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।

- सभी बोलीदाता अपना संपर्क सूत्र, दूरभाष, फैक्स, ईमेल एवं पूरा पते का विवरण उपलब्ध करायें ताकि आरएफपी के प्रत्युत्तर से तुरंत अवगत कराया जा सके।

- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।

- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो पूर्व-बोली बैठक के दौरान ऊपर बताए गए संपर्क व्यक्ति से सोमवार से शुक्रवार प्रात: 11.00 से सायं 04.00 बजे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की समय-सीमा के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- बोलीदाता को भारत सरकार के किसी भी विभाग/पीएसयू/बैंकों/भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट/वंचित न किया गया हो।

- रा.आ. बैंक अपनी आरएफपी के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट बोलीदाताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ. बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

8.1 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

8.2 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

8.3 मिटाना अथवा संशोधन

मिटाये अथवा संशोधित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह भरा हो। सही तकनीकी जानकारी भरी जाय। जानकारी भरने में 'ठीक है', 'स्वीकार है', 'देख लिया है', 'जैसा ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है' जैसे शब्द स्वीकार्य नहीं हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक इन दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार्य के तौर पर समझेगी। राष्ट्रीय आवास बैंक इस प्रस्ताव में किसी प्रकार के गैर अनुरूपता अथवा मामूली अनियमितता पर अपने विवेक पर छूट दे सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगी एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के पास ऐसे छूट देने के अधिकार सुरक्षित हैं।

8.4 बोली/निवदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए बोली दस्तावेजों में संशोधन करते हुए संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने

से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

8.5 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

8.6 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

8.7 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज (प्रारुपों में अलग से निर्दिष्ट निर्देशों का कृपया अनुसरण करें, यदि कोई हो)

क. **अनुलग्नक I** में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
ख. **अनुलग्नक II** में निर्दिष्ट प्रारूप में वाणिज्यिक बोली कवरिंग पत्र;

ग. वाणिज्यिक प्रस्ताव: **अनुलग्नक III** में निर्धारित प्रारूप के अनुसार;

घ. **अनुलग्नक IV** में निर्धारित प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;

ङ. **अनुलग्नक V** के अनुसार काली-सूची में न डाले जाने/ प्रतिबंधित/विवर्जित न किए जाने का वचनपत्र;

च. **अनुलग्नक VI** के अनुसार सेवा स्तरीय करार

8.8 बोली मुद्रा

इस आरएफपी के जबाव में बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी। भारतीय रूपए के अलावा किसी अन्य मुद्रा में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.9 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

क. सभी बोलियां **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से 3600/- रुपए (छत्तीस सौ रुपए मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि के साथ होनी चाहिए।

ख. खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

क्र. सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर ए 5, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र , लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

4	लाभार्थी के बैंक की शाखा	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कॉम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBHY0020511
8	एमआईसीआर सं.	110004005

ग. भुगतान का सबूत संलग्न होना चाहिए तथा तकनीकी बोली लिखकर लिफाफे में रखा जाना चाहिए; जिसकी अनुपस्थिति में बोली आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं की जा सकती। बोलीदाता को ईसीएस अधिदेश पत्र, जैसा अनुलग्नक **IV** में संलग्न है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

घ. यथोचित प्रारूप तथा प्रणाली में ईएमडी के बिना प्राप्त कोई बोली अनुत्तरदायी और अस्वीकार की जाएगी।

ङ. ईएमडी से छूट हेतु अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

च. जैसा यहां बताया गया है वैसा या फिर जैसा निर्धारित करार में बताया गया है, सभी असफल बोलीदाताओं की बयाना जमा राशि कार्य/संविदा देने के पश्चात या निविदा प्रक्रिया के पूरा होने पर लौटा दिया जाएगा।

छ. ईएमडी सुरक्षा जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली आहरित कर लेता;
- संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी समय यदि बोलीदाता कोई बयान देता है अथवा कोई प्रारूप संलग्न करता है जो झूठ/गलत पाया जाता है।
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलदाता संविदा पर हस्ताक्षर करने में असफल हो जाता है;

8.10 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से छ माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

- असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली की प्रतिभूति भी बढ़ा दी जाएगी।

8.11 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

- यहां पर वाणिज्यिक बोली को "''वाणिज्यिक प्रस्ताव'' के रूप में संदर्भित किया गया है।

- वास्तविक बोली पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के बोली लगाने के लिए बाध्य के विधिवत प्राधिकृत बोलीदाता अथवा एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षित होनी चाहिए।

व्यक्ति अथवा व्यक्ति जो बोली हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा बोली के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

8.12 बिडों की सीलिंग एवं चिन्हांकन

- लिफाफे दिये बैंक के पते उप महाप्रबंधक, परिसर विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5-ए, तीसरा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 पर भेजे जाएंगे।

- सभी लिफाफों के कवर पर बोलीदाता के टेलीफोन/मोबाइल नं. के साथ नाम और पता इंगित करना चाहिए। एक लिफाफे में ईएमडी विवरण को रखें (उस पर भुगतान का प्रमाण लिखें)। वाणिज्यिक प्रस्ताव को अलग लिफाफे में रखें (उस पर वाणिज्यिक प्रस्ताव लिखें)। दोनों लिफाफों को एक बाहरी लिफाफे में रखें।

- लिफाफे में पारदर्शी भाग नहीं होना चाहिए तथा उस पर **"मुख्यालय और जंगपुरा एक्सटेंशन स्थित बैंकों के फ्लैटों (वीओएफ और कार्यपालक निदेशक के फ्लैट) में स्थापित एसी के लिए अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने हेतु बोलीदाता के चयन हेतु प्रस्ताव"** लिखा जाना चाहिए।

- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और सहारा के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगी।

8.13 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट की सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकती है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

8.14 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

बैंक द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद बैंक को प्राप्त बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोली दाता को लौटा दिया जाएगा।

8.15 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

- **बोलियों खोलने का स्थान: बैठक कक्ष,** राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5ए, चौथा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

- बोलीदाता के नाम तथा अन्य ब्योरे की घोषणा बोली खोलने के समय की जाएगी।

8.16 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स /ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.17 प्रारम्भिक जांच

- बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।

- बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बिड की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

8.18 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

8.19 लागत संरचना एवं परिवर्तन

- वाणि ज्यि क प्रस्ताव स्थिर मूल्य आधार पर होगा। संविदा की अवधि के दौरान किसी भी कार्य के लिए समनुदेशित कार्य की लागत करों को छोड़कर निविदा (वर्तमान एवं भावी) से संबंधित मूल्य परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- कार्य की मात्रा में किसी भी विचलन का भुगतान केवल निविदा स्वीकृत दरों पर ही होगा।
- लागू टीडीएस को समय-समय पर सभी भुगतानों में से वसूल किया जाएगा।

8.20 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

बोलीदाता के पास इस परियोजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर सभी अपेक्षित सहायता देने के लिए जरूरी कार्यबल / सामग्री / उपकरण एवं संयंत्र (टी एंड पी) / सुरक्षा घेरा / सूचना-पट्ट आदि के मामले में उचित और पर्याप्त सहायक तंत्र उपलब्ध होना चाहिए।

8.21 बैंक की निबंधन व शर्तें

1. बैंक की संपत्ति को हुई किसी प्रकार की क्षति को बोलीदाता स्वयं के

जोखिम व लागत पर ठीक करेगा।

2. बोलीदाता किसी तृतीय पक्ष को रा.आ. बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना रा.आ. बैंक द्वारा सौंपे गए काम को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ. बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों में केवल अपनी सेवा/ समर्थन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से निपटाएगा।
3. यह कार्य बैंक अधिकारियों, आसपास रहने वाले लोगों /वाहनों को परेशान किए बिना दिन व रात्रि में किया जा सकता है।
4. बोलीदाता इस कार्य में कोई बाल श्रमिक को काम पर नहीं लगाएगा।
5. लागू श्रम कानूनों के सभी प्रावधानों का पालन बोलीदाता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
6. बोलीदाता को कार्यस्थल पर कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक उपकरण एवं संयंत्र (टी एंड पी) इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी।
7. बोलीदाता को दैनिक कार्य की समाप्ति पर सभी मलबे को साफ करना है।
8. बोलीदाता काम पर रखे गये श्रमिकों के आचार सहिंता के लिए जिम्मेदार होगी।
9. बैंक की संतुष्टि पर संतोषजनक ढंग से कार्य पूरा किया जाए।
10. बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि वह बाधाओं, कम जगह की उपलब्धता इत्यादि के लिए स्थल का दौरा करें।
11. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया ऐसा कोई भी ऑफर जो इस आरएफपी में बताई गई प्रत्येक शर्त को पूरा नहीं करता हो उसे बैंक के विवेक पर निरस्त किया जा सकता है।
12. वेंडर द्वारा कोट की गई दरों के आंकड़ों अथवा शब्दों में पैदा होने वाली कोई विसंगतियों के मामले में केवल शब्दों में कोट की गई दरें ही

स्वीकार्य होंगी।

13. यह बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह इस कार्य का निष्पादन करने में प्रासंगिक संहिताओं के अनुसार अपेक्षित सुरक्षा उपायों/सावधानियों का ध्यान रखें। राष्ट्रीय आवास बैंक कामगारों के साथ होने वाली कोई दुर्घटना/चोट/हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

14. श्रमिकों के काम करने एवं/अथवा आवाजाही, सामग्री इत्यादि पर आरडब्ल्यूए, सुरक्षा, इत्यादि द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं। बोलीदाता ऐसे अनुदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा एवं यदि ऐसे प्रतिबंध से बोलीदाता पर कोई शुल्क लगता है तो इस संबंध में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

8.22 बोलियों में संशोधन और /या वापस लेना:

- एक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बैंक को कोई या सभी निविदाएं बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा। बैंक किसी भी कारण से बिड दस्तावेजों के प्राप्त नहीं होने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

8.23 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा।

8.24 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

8.25 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

8.26 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि वेंडर ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। वेंडर के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में वेंडर की क्षमता एवं इस परियेाजना में वेंडर की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

8.27 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया

गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

8.28 कानूनों का अनुपालन

क सेवा प्रदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएंके बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति,हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

ख सेवा प्रदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी

भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे बैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक सेवा प्रदाता को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

ग यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत सेवा प्रदाता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8.29 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदिनिविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयीं उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है

अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती हैतो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

क. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल बयाना राशि/ईएमडी जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ख. यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बैंक गारंटी के आमंत्रण समेत संविदा की समाप्ति हेतु आरएफपी में दी गई उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

9. वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें

बोलदाताओं से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित वाणिज्यिक निबंधन व शर्तो पर ध्यान दें।

9.1 प्रभार/मूल्य

क बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।

ख बिलिंग चक्र एसएलए करार के बाद शुरू होगा।

ग पूर्ण संविदा अवधि के लिए वैध और स्थिर हो।

घ कीमत में वाणिज्यिक बोली के अनुसार सभी कर, शुल्क, उदग्रहण प्रभर, ढुलाई, बीमा, चुंगी इत्यादि शामिल होने चाहिए।

ङ समायोज्य कीमत युक्त कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली को अनुत्तरदायी समझा जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

9.2 भुगतान की शर्तें

- भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा। अग्रिम भुगतान अनुमत नहीं है।
- आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि संविदा का समापन होता है तो सेवाओं के प्रति भुगतान को लागू दंड और टीडीएस /अन्य लागू करों को काटने के पश्चात उस अवधि जिसके लिए वे सेवाएं दी गई हों, के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:
www.nhb.org.in – What's New